APP-A
Crim-I

FROM No.-III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा केम्प कोर्ट सरेरी

लक्ष्मीनारायण पिता चुन्नीलाल अहीर
निवासी – भवानी खेडा

बनाम

गोपीलाल पिता चुन्नीलाल अहीर वगैरा , निवासी – भवानी पुरा

किस्म मुकदमा– वादपत्र अन्तर्गत धारा – 88, 53, 92 रा. टि.ए.

प्रकरण संख्या– 2433/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट सरेरी पर पेष हुई । वादी लक्ष्मीनारायण उनके अधिवक्ता श्री सुरेष दाधीच, प्रतिवादी गोपीलाल, गुलाब बाई, मनभर, दारासिंह, दीपक, हीना उपस्थित । उभयपक्ष को सूना गया । वक्त बहस वकील वादी ने कथन किया कि विवादित आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या– 1 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या– 3 से 6 के दादा चुन्नीलाल को आंवटितपुदा भूमि है । चुन्नीलाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या– 1 गोपीलाल ने अपने अकेले के नाम सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण अपने नाम पर करवा लिया , जबकि विवादित आराजीयात में वादी का 1/4 , प्रतिवादी संख्या– 1 का 1/4 प्रतिवादी संख्या– 2 का 1/4 , प्रतिवादी संख्या– 3 से 6 का 1/4 हक हिस्सा है , और इसी हक हिस्से से काबिज काष्त चले आ रहे है। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या– 1 से 2 तथा प्रतिवादी संख्या– 3 से 6 के नाम 1/4, 1/4 हक हिस्से से भूमि दर्ज करवाई जावें । प्रतिवादी संख्या– 1 गोपीलाल ने वादी की वाद की पृष्टि करते हुये दावा वादी स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है । मैनें उपस्थित उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाता का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है । वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2037–2040 मौजा भावनीपुरा पटवार हल्का सरेरी तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नम्बर– 208/241 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि चुन्नीलाल पिता सौनाथ अहीर के नाम खातेदारी से दर्ज	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

होना तथा नामान्तकरण संख्या– 38 विरासत से दिनांक 16.06.1983 को चुन्नीलाल के स्थान पर गोपीलाल पिता चुन्नीलाल का नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात के हाल खातेदार प्रतिवादी संख्या–1 गोपीलाल ने आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि आराजी नम्बर– 241/208 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि मेरे नाम दर्ज है, उसमें मेरे दो भाई व माता का नाम दर्ज नही है । अतः मेरे नाम के साथ राजस्व रिकार्ड में मेरे भाई लक्ष्मीनारायण मेरी माँ गुलाब बाई तथा मेरे भाई रामलाल के वारिसों का नाम दर्ज करवा जावें ।

ऐसी स्थिति में दावा वादी लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है ।

–::निर्णय::–

दावा वादी लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाकर मौजा भवानीपुरा पटवार हल्का तसेरी तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 208/241 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि के खातेदार के साथ लक्ष्मीनारायण पुत्र चुन्नीलाल 1/4, गुलाब बाई पत्नि चुन्नीलाल 1/4, ननगर पत्नि रामलाल, दारा सिंह, दीपककुमार, हीना, पिता रामलाल अहीर 1/4 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है । तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें । डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली सुनार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट तसेरी पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner